कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ0ग0)

//आदेश//

बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2022

क्रमांक 2937/का0गो0/2022 :– कार्यालयीन पत्र क्र0 2999/का0गो0/2022 के द्वारा सुश्री वन्दना कुजूर पटवारी हल्का नम्बर–05 खरवत को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। ग्राम मण्डलपारा स्थित उक्त भूमि पर नहर होना बताया गया हैं। इसके अतिरिक्त, तहसीलदार बैकुण्ठपुर के जॉच प्रतिवेदन अनुसार उक्त मण्डलपारा नहर स्थित भूमि का विक्रय वर्ष 2018–19 नामान्तरण पंजी में बिना सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणीकरण कराये नामान्तरण कर दिये जाने का प्रतिवेदन जॉच में स्पष्ट प्राप्त हुआ है। एवं तहसीलदार बैकुण्ठपुर द्वारा निलंबन कार्यवाही की अनुशंसा की गई है। जिसकी पुष्टि जॉच प्रतिवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजो से होती है।

उपरोक्तानुसार आपका यह कृत्य पदीय कर्तव्यो के निर्वहन में घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है। **जो छ0ग0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। उपरोक्त के संबंध में कार्यालय पत्र क्र0 2999/का0गो0/2022 दिनांक 21/10/2022 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।**

अतः उपरोक्त कृत्य के लिये सुश्री वंदना कुजूर पटवारी हल्का नं0 05 रा0 नि0 मण्डल सरडी को छ0ग0 सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा **अपील नियम 1966 के नियम 09(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलबंन किया जाता है।**

निलंबन अवधि में शासन के नियमानुसार इन्हे जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Ankita

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
बैकुण्ठपुर,जिला कोरिया, (छ0ग0)
बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2022

पृ0क्र0 2938/कानूनगो/2022

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त सरगुजा संभाग अम्बिकापुर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) बैकुण्ठपुर जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. जिला कोषालय अधिकारी बैकुण्ठपुर जिला कोरिया को सूचनार्थ।
4. तहसीलदार बैकुण्ठपुर जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
5. नायब नाजिर/ का0गो0 शाखा तहसील बैकुण्ठपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित।
6. सुश्री वंदना कुजूर पटवारी हल्का नं0 05 को रा0 नि0 मण्डल सरडी तहसील बैकुण्ठपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Ankita

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
बैकुण्ठपुर,जिला कोरिया, (छ0ग0)

Scanned by CamScanner